

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 358] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 18, 1977/श्रावण 27 1899

No 358] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 18, 1977/SRAVANA 27, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

ORDER

New Delhi, the 18th August 1977

S O. 619(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Refined Groundnut Oil (Regulation of Refining and Price) Control Order, 1977, namely—

- 1 (1) This Order may be called the Refined Groundnut Oil (Regulation of Refining and Price) Control (Amendment) Order, 1977
- (2) It shall come into force at once.
2. In the Refined Groundnut Oil (Regulation of Refining and Price) Control Order, 1977, for Clause 3, the following Clause shall be substituted, namely:—

“3 Prohibition of manufacture of refined groundnut oil—Notwithstanding anything contained in the Vegetable Oil Product Producers (Regulation of Refined Oil Manufacture) Order, 1973, no person shall, on and from the date of commencement of the Refined Groundnut Oil (Regulation of Refining and Price) Control (Amendment) Order, 1977 manufacture refined groundnut oil from expeller groundnut oil produced in India”.

[No F 20(12)/77-ECR]

T. BALAKRISHNAN, Jt Secy

नागरिक पूति और सहकारिता मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 18 अगस्त, 1977

का० आ० 619(अ) —केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिष्कृत मूगफली का तेल (परिष्करण और कीमत का विनियमन) नियंत्रण आदेश, 1977 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है ; अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का नाम परिष्कृत मूगफली का तेल (परिष्करण और कीमत का विनियमन) नियंत्रण आदेश, 1977 है ।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा ।

2. परिष्कृत मूगफली का तेल (परिष्करण और कीमत का विनियमन) नियंत्रण आदेश, 1977 में, खण्ड 3 के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् —

“3 **परिष्कृत मूगफली के तेल के विनिर्माण का प्रतिषेध .**—वतस्पति तेल-उत्पाद उत्पादक (परिष्कृत तेल विनिर्माण का विनियमन) आदेश, 1973 में किसी बात के होते हुए भी, कोई व्यक्ति, भारत में उत्पादित निष्कासक मूगफली तेल से परिष्कृत मूगफली के तेल का विनिर्माण परिष्कृत मूगफली का तेल (परिष्करण और कीमत का विनियमन) नियंत्रण (संशोधन) आदेश, 1977 के प्रारंभ की तारीख की और से नहीं करेगा ।”

[स० एफ० 20 (12) 77-ई० सी० आर०]

टी० बालकृष्णन्, संयुक्त सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मन्त्रालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977